



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: ce@shekhauni.ac.in

क्रमांक: 15572

दिनांक : 29/10/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं संबंधित विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा आवेदन-पत्र भरने, विद्यार्थी की पात्रता निर्धारित करने तथा परीक्षा परिणाम संबंधी कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें।

1. **Ex-Student श्रेणी निर्धारण के संबंध में:** ऐसे विद्यार्थी जिनका तृतीय अथवा पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर का कोई प्रश्न-पत्र बकाया (Due/Back) रह गया है तथा जिन्होंने सत्र 2025-26 में षष्ठम सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें परीक्षा आवेदन एवं परिणाम संबंधी प्रक्रिया में नियमानुसार Ex-Student (भूतपूर्व विद्यार्थी) की श्रेणी में रखा जाए। संबंधित महाविद्यालय विद्यार्थियों को सही श्रेणी में आवेदन करने हेतु निर्देशित करें।

2. **ABC ID के माध्यम से आवेदन-पत्र भरने में त्रुटि के संबंध में:** यदि किसी विद्यार्थी द्वारा ABC ID के माध्यम से परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय गलत रोल नंबर अंकित किया जाता है, तो संबंधित विद्यार्थी से नियमानुसार शपथ-पत्र (Affidavit) प्राप्त कर संबंधित आवेदन-पत्र को निरस्त (Reject) करने की कार्यवाही की जाए। महाविद्यालय आवेदन-पत्रों का सत्यापन करते समय रोल नंबर एवं अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करें। विश्वविद्यालय द्वारा फीस रिफ़ंड नहीं की जायेगी।

3. **ABC ID नहीं बनने की स्थिति में Consent Form की व्यवस्था:** UG 1st सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जिनकी ABC ID किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, उनके लिए परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए Consent Form के विकल्प के माध्यम से परीक्षा आवेदन-पत्र भरवाने की व्यवस्था की जाएगी। उक्त विद्यार्थियों का डेटा डिजिलॉकर पर तब तक अपलोड नहीं होगा, जब तक विद्यार्थी एबीसी आईडी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को उपलब्ध नहीं करवाएंगे।

4- **Semester Gap एवं Year Gap के संबंध में:** विद्यार्थियों के संबंध में किसी भी परिस्थिति में Semester Gap नहीं माना जाएगा, जबकि नियमानुसार Year Gap अनुमन्य हो सकता है। अतः सभी महाविद्यालय एवं विद्यार्थी परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय उक्त प्रावधान का ध्यान रखें। महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों की पात्रता का निर्धारण आयुक्तालय की Admission Policy के अनुरूप ही किया जाए।

5. **न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट की अनिवार्यता:** अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने अथवा उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार निर्धारित पात्रता के अंतर्गत पूर्व के सभी सेमेस्टर्स के कुल क्रेडिट में से न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करने वाले पात्र विद्यार्थियों को ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

6. **Due/Back प्रश्न-पत्रों की परीक्षा के संबंध में:** विद्यार्थियों के बकाया प्रश्न-पत्रों की परीक्षा नियमानुसार Odd Semester के प्रश्न-पत्र Odd Semester में तथा Even Semester के प्रश्न-पत्र Even Semester में आयोजित की जाएगी। ऐसे प्रश्न-पत्रों के लिए अधिकतम 35 क्रेडिट की निर्धारित सीमा का पालन किया जाएगा।

7. **PH Category के आवेदन पत्र के संबंध में:** विद्यार्थी के मूल प्रमाण पत्र से जांच उपरांत ही महाविद्यालय स्तर पर वेरीफाई किया जाना सुनिश्चित करें। यदि वेरिफिकेशन से संबंधित आवेदन शुल्क की जबाबदेही बनती है तो महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।

8. **महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:** समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को उपर्युक्त नियमों की जानकारी समय पर प्रदान की जाए तथा परीक्षा आवेदन-पत्र Verify करने से पूर्व विद्यार्थी की श्रेणी, रोल नंबर, ABC ID, क्रेडिट एवं परीक्षा पात्रता की जाँच कर ली जाए। विद्यार्थी आवेदन-पत्र में समस्त विवरण सही अंकित करें तथा निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करें। अतः समस्त संबंधित महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा आवेदन-पत्र, पात्रता निर्धारण एवं परीक्षा परिणाम संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो।

क्रमांक: 15573 - 576

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलगुरु, पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
2. कुलसचिव कार्यालय, पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
3. उपकुलसचिव पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
4. संबंधित फर्म।
5. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक

दिनांक : 29/10/2026

परीक्षा नियंत्रक